275

संख्या–183 / XLI-1/2013–16 / 13

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 22 अप्रैल, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय "महिला इंजीनियरिंग कालेज, देहरादून" के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के संघटक महाविद्यालय "महिला इंजीनियरिंग कालेज, देहरादून" के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹39.79 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत आंगणन ₹38.10 लाख (रूपये अड़तीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, शासनादेश संख्या–322 / XLI-1 / 2013–79 / 12, दिनांक–28.03.2013 के द्वारा उक्त इंजीनियरिंग कालेज के लिये पी0एल0ए0 में जमा धनराशि ₹500.00 लाख में से ₹19.05 लाख (रूपये उन्नीस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. उक्त कार्य हेतु संस्तुत आगणन ₹38.10 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा शेष ₹19.05 लाख (रूपये उन्नीस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था के साथ निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य कराया लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें। शासनादेश सं0–571 / XXVII(1) / 2010 दिनांक–19.10.10 के आलोक में, प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्धता के आधार पर पूर्ण करते हुए द्वितीय चरण के संबंध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 से आहरित कर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त संस्थान शैक्षिक सत्र 2012–13 से संचालित है। यह कार्य सरकार की प्राथमिकता में है। शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु विलम्ब के लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–05(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक – उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, महिला इंजीनियरिंग कालेज, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/श्रीनगर।
8. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।